

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर**

क्र. 114 / एफ-7-96-31 / एस-2 / 2020,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 12 / 01 / 2021

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय:- सूरजपुर जिले के रेहर अटेम (झिंक) लिंक परियोजना के सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्रमांक-183/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2020/10247, दिनांक 23.11.2020.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा सूरजपुर जिले के रेहर अटेम (झिंक) लिंक परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु लागत राशि रु. 142.45 लाख (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख पैतालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

- कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरांत पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किया जाये।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
- योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल 0102 अनुसूचित जनजाति उप योजना (4416)-सर्वेक्षण, #06-सर्वेक्षण के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 34/2007 के अंतर्गत वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 की कंडिका-79 द्वारा कार्यो/प्रोजेक्ट्स के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार प्रदत्त है।
- सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता सतत् अनुश्रवण करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 115 / एफ-7-96-31 / एस-2 / 2020,

अटल नगर, दिनांक 12 / 01 / 2021

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, थर्मल पॉवर परियोजना संभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 15 आदेश फोल्डर।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
12/1/21